

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं0 1 /(आर ई 2010)/2009-2014
नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथा निहित 23 अगस्त, 2010 को अद्यतन किए गए वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) को, एतद्वारा, अधिसूचित करते हैं। यह दिनांक 23 अगस्त, 2010 से प्रभावी होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

(पी0 के0 चौधरी)
महानिदेशक, विदेश
व्यापार एवं
सरकार
अपर सचिव, भारत

(फाईल सं. 01/91/180/954/ए एम11/पीसी-3 से जारी)